वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] **भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2017-भाद्र 31, शके 1939**

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

बचपन में मेरा घर का नाम सारिका था जो कि मेरे पिता के सैनिक सर्विस रिकार्ड में दर्ज है. परन्तु स्कूल में हमने मेरा नाम सारिका से बदलकर विजेता कुंजीर कर लिया था जो कि मेरी सभी अंकसूचियों में दर्ज है, सारिका उर्फ विजेता कुंजीर पुत्री श्री विकम बल भीम कुंजीर दोनों मेरे ही नाम हैं. अब शादी के बाद मेरा नाम सारिका उर्फ विजेता कुंजीर से बदलकर विजेता विशाल भदरगे हो गया है. अत: अब से मुझे मेरे पिताजी के सर्विस रिकॉर्ड सहित सभी शासकीय दस्तावेजों में मेरे नये नाम विजेता विशाल भदरगे से लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(सारिका उर्फ विजेता कुंजीर)
(SARIKA/VIJATA KUNJIR)
पुत्री विकम बल भीम कुंजीर.

नया नाम :

(विजेता विशाल भदरगे)
(VIJATA VISHAL BHADARGE)
पत्नी विशाल भदरगे,
17, बंशी प्रेस की चाल, इन्दौर (म.प्र.).

(398-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मेरी सेवा पुस्तिका में मेरे उपनाम के स्थान पर मेरी जाति मेहरा दर्ज होने से सेवा-पुस्तिका में मेरा पूरा नाम त्रुटिवश बलीराम मेहरा दर्ज है, जबकि मेरा सही उपनाम झारिया है एवं पूरा सही नाम बलीराम झारिया ही है. मैं इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाता हूँ.

पुराना नाम :

(बलीराम मेहरा)

नया नाम :

(बलीराम झारिया)

(378-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश कुमार पटैरिया पुत्र श्री विनोद कुमार पटैरिया, निवासी छतरपुर यह सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री कु॰ शैफाली पटैरिया कि कक्षा 10वीं की अंकसूची में पिता का नाम डी. के. पटैरिया लिखा गया जबकि वास्तविक नाम दिनेश कुमार पटैरिया है. मैं अपनी पुत्री की अंकसूची में पिता का नाम डी. के. पटैरिया की जगह दिनेश कुमार पटैरिया लिखवाना चाहता हूँ.

पुराना नाम :

(डी. के. पटैरिया)
पिता विनोद कुमार पटैरिया.

नया नाम :

(दिनेश कुमार पटैरिया)
पिता विनोद कुमार पटैरिया,
पैप्टेक सिटी, देरी रोड, छतरपुर (म.प्र.).

(379-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, छोटेलाल हरिजन पिता श्री जगतधारी हरिजन, निवासी ग्राम चरैया, पोस्ट धौसड़, तहसील व थाना हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.) का निवासी हूँ तथा मेरा उपनाम छोटेलाल हरिजन के नाम से प्रचलित है तथा समाज में छोटेलाल हरिजन के नाम से पहचाना जाता है उक्त जाहिर सूचना के प्रकाशन के बाद छोटेलाल हरिजन के स्थान पर छोटेलाल सिंह सूर्यवंशी परिवर्तित नाम से जाना एवं सम्बोधित किया जाय, एवं हमारे सभी रिकार्डों में लिखा जाय.

पुराना नाम :

(छोटेलाल हरिजन)

नया नाम :

(छोटेलाल सिंह सूर्यवंशी)

(380-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मेरा सही नाम लक्ष्मीपति चतुर्वेदी है जो कि मेरे पैन कार्ड, पासबुक एवं ड्रायविंग लाइसेंस में दर्ज है, भूलवश मेरे हाईस्कूल एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्र तथा वोटर, आधार कार्ड में लक्ष्मीपति दर्ज हो गया है एवं मेरी सर्विस बुक में मेरा नाम लक्ष्मी पति मिश्रा दर्ज हो गया है ये तीनों ही नाम मेरे हैं भविष्य में मुझे लक्ष्मीपति चतुर्वेदी के नाम से लिखा, पढ़ा एवं जाना जावें.

भवदीय—

(लक्ष्मीपति चतुर्वेदी)
म. नं. 58, नीलकण्ड कॉलोनी,
कृषि उपज मण्डी करोंद, भोपाल.

(382-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम उदय शाक्य है अब परिवर्तन कर उदय अतरोलिया करना चाहता हूँ अतः भविष्य में मेरे पुत्र का नाम उदय अतरोलिया जाना, पढ़ा-समझा जावे.

मोतीलाल अतरोलिया,
जालिम सिंह की गोठ दही मण्डी के अन्दर,
चेलाजी अखाड़े के पास, लश्कर, ग्वालियर.

(383-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एडवोकेट संजय सरवैया पुत्र श्री बी. के. सरवैया, निवासी-116, सरवैया सदन फालका बाजार, लश्कर, ग्वालियर म.प्र. का हूँ, मैं शपथपूर्वक सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री सुरभी सरवैया (SURBHI SIRBYA OLD NAME) है. जिसका नाम अब परिवर्तित होकर सुरभी शर्मा (SURBHI SHARMA NEW NAME) हो गया है. अतः भविष्य में मेरी पुत्री को उसके नये नाम सुरभी शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे एवं शासकीय व अर्द्धशासकीय अन्य समस्त दस्तावेजों में मान्य किया जावे.

प्रेषक,

संजय सरवैया, एडवोकेट
116, सरवैया सदन, फालका बाजार,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(381-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पूर्व में गीतांजली पिता हरीशचंद्र शाह था, अब मेरा नाम (श्रीमती सोनाली पति धीरज देवकर) हो गया है.

अत: मुझे पुराने नाम गीतांजली पिता हरीशचंद्र शाह के स्थान पर (श्रीमती सोनाली पति धीरज देवकर) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम : नया नाम :

(गीतांजली पिता हरीशचंद्र शाह) **(सोनाली पति धीरज देवकर)**

(392-बी.)

CHANGE OF NAME

I, GURBANI MONIKA SURESH KUMAR changed my name to after marriage RADHIKA MOTLANI W/o DEEPAK MOTLANI and now I would be known as RADHIKA MOTLANI W/o DEEPAK MOTLANI.

Old Name: New Name :

(GURBANI MONIKA SURESH KUMAR) **(RADHIKA MOTLANI)**

Address—237, Gumasta Nagar Main Road,

(393-B.) Indore (M.P.).

CHANGE OF NAME

I, Meghaj Shivharey S/o Surendra Shivharey informes that two entires had been registered wrong in 10th marksheet so, change name Meghaj Shivhare and Surendra Shivhare to names mentioned above.

Old Name: New Name :

(MEGHAJ SHIVHARE) **(MEGHAJ SHIVHAREY)**

S/o Surendra Shivhare. S/o Surendra Shivharey.

(394-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का पुराना नाम नितेश पालिया था जिसको मैंने परिवर्तित करके नितेश पलईया प्रजापति कर दिया है. भविष्य में मेरे पुत्र के शासकीय एवं शासकीय कार्य नितेश पलईया प्रजापति के नाम से ही सम्पन्न होंगे एवं मेरे पुत्र के समस्त शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक दस्तावेजों में नितेश पलईया प्रजापति पढ़ा जाये एवं उसको परिवर्तित नाम से जाना-पहचाना जायेगा.

सूचनाकर्ता—

बनवारीलाल पलईया,

पुत्र श्री सुखलाल प्रजापति,

निवास-बी. एम. 463, दीनदयाल नगर,

(395-बी.) ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पलक चंसोरिया पत्नि श्री दीपक चंसोरिया पुत्री श्री अवधनारायण शर्मा, हाल निवासी-34, रॉयल भगवान एस्टेट गेंहूखेड़ा कोलार रोड, भोपाल का जन्म से ही नाम कु. मोनिका शर्मा पुत्री श्री अवधनारायण शर्मा था. मैं, दुर्गा कॉलोनी, गुना की निवासी थी, वर्ष 2010 में मेरा विवाह भोपाल निवासी श्री दीपक चंसोरिया के साथ सम्पन्न हुआ, विवाह के साथ ही मेरा नाम भी परिवर्तन होकर पलक चंसोरिया पत्नि श्री दीपक चंसोरिया पुत्री अवधनारायण शर्मा हो गया. विवाह के पूर्व सभी दस्तावेजों और बोल-चाल में मेरा नाम कु. मोनिका शर्मा ही इस्तेमाल किया गया, परन्तु विवाह उपरांत मेरा परिवर्तित नाम पलक चंसोरिया का इस्तेमाल सभी दस्तावेजों एवं बोल-चाल में किया जाने लगा. सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस विज्ञप्ति का प्रकाश किया जा रहा है.

पुराना नाम : नया नाम :

(मोनिका शर्मा) **(पलक चंसोरिया)**

(396-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को एवं आम जन को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मेसर्स बालाजी डेब्लपर्स, 205, द्वितीय मंजिल, सिटी सेन्टर 570, एम. जी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन क्रमांक 03/27/01/0413/15, दिनांक 26-03-2015 पर रजिस्टर्ड फर्म है. सर्वश्री (1) धीरज सिंह राठौर पिता रघुवीर सिंह राठौर, (2) संजीव अग्रवाल पिता रामजीलाल अग्रवाल, (3) गोरव सिंह कुशवाह पिता राजेन्द्र सिंह कुशवाह, (4) रूपेश सिंह राठौर पिता रघुवीर सिंह राठौर, (5) विजय शर्मा पिता गोपाल शर्मा, (6) नीरज सिंह राठौर पिता रघुवीर सिंह राठौर वर्तमान में फर्म के भागीदार हैं. दिनांक 01-04-2017 से सर्वश्री लखन तिवारी पिता स्व. श्री बाबूलाल तिवारी एवं अतुल मेहता पिता कैलाश चंद्र मेहता अपनी स्वखुशी स्वेच्छा से फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं फर्म इसी दिनांक 01-04-2017 से दो शाखायें खोल रही है. (1) भोपाल, मध्यप्रदेश ब्रांच, 12 सुर्दशन अपार्टमेंट, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर सर्किट हाउस, भोपाल (म.प्र.), (2) इटारसी, मध्यप्रदेश ब्रांच वार्ड नं. 4, जगदंबा मंगल भवन, नियर शंखनाद नाका, ओल्ड इटारसी, इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.).

यदि किसी को कोई आपत्ति हो, तो इस सूचना के प्रकाशन से सात दिनों में मय प्रमाण के फर्म के उक्त पते पर प्रस्तुत करें.

वास्ते-फर्म मेसर्स बालाजी डेब्लपर्स,
अतुल मेहता,
(Partner).

(384-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to infrom that M/s Oswal Seeds and Chemicals, having registered office at opposite Balkavibairagi College, Nasirabad Highway, Village Kanawati, District-Neemuch, our old partnership firm which was incorporated on 29-07-2002, having two partners (Shri Sanjay Kumar Baigani and Shri Anil Kumar Nahata) and with the mutual consent of both the partners, we have added six new partners named-Smt. Kiran Begani, Smt. Padma Nahata, Shri Kamlesh Nahata, Shri Rajesh Nahata, Shri Anil Kumar Begani and Shri Paresh Dugad) in new partnership deed dated on 31-07-2017. The firm M/s Oswal Seeds and Chemicals is going to converted into Public Company. This public notice is being published for the purpose of information to be given to office of Registrar of Firm and Society and General Public.

M/s Oswal Seeds and Chemicals,
संजय,
Kanawati Neemuch (M.P.).

(387-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एएमएम रियलीटीज, यू.जी.-4 विद्यापति, रेस कोर्स रोड, इन्दौर म.प्र. जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00292/14, दिनांक 22-12-2014 से एक भागीदारी फर्म है, उक्त में से एक भागीदार मनीष तिवारी पुत्र चन्द्र शेखर तिवारी, निवासी 272, बी ग्रेटर ब्रिजेश्वरी, इन्दौर दिनांक 01-04-2017 से अपनी स्वेच्छा से इस भागीदारी फर्म से रिटायर्ड हो गये हैं.

मेसर्स एएमएम रियलीटीज,
1. आनन्द रूनवाल,
2. मनीष गोधा,
(भागीदार).

(397-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स मयंक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 01, किचलू सहाब का बाड़ा, बारादरी चौराहा, मुरार, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00104/11, दिनांक 13-07-2011 है. जिसमें दिनांक 01-04-2017 से भागीदारी सौरभ कटारे पुत्र श्री राजेश कटारे, (2) अनिल शर्मा पुत्र श्री विशम्भरदयाल शर्मा, (3) श्रीमती आशा कटारे पत्नि श्री बालकिशन कटारे अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2017 से संजीव शर्मा पुत्र श्री विशम्मरदयाल शर्मा एवं दिलीप शर्मा पुत्र श्री विशम्भरदयाल शर्मा, निवासीगण परसुराम बिहार कॉलोनी, सिंहपुर रोड, मुरार, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-मयंक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
मुन्नी बाई शर्मा,
(भागीदार).
किचलू सहाब का बाड़ा मुरार (म.प्र.).

(385-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स इन्द्रा स्टोन्स क्रेशर, 01, सदर बाजार, मुरार, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00160/17, दिनांक 11-09-2017 है. जिसमें दिनांक 30-06-2017 से श्री दिनेश मंगल पुत्र स्व. श्री ठाकुरदास मंगल (मृत्यु दिनांक 11-02-2015) एवं श्री दिनेश गोयल पुत्र श्री ज्ञानचंद गोयल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 30-06-2017 से श्रीमती इन्द्रा मंगल पत्नि स्व. श्री दिनेश मंगल, निवासी जवाहर नगर कॉलोनी, धौलपुर (राजस्थान) एवं श्री गिर्राज सिंह परमार पुत्र श्री मुन्ना सिंह परमार, निवासी पंचवटी कॉलोनी, ए. बी. रोड, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं दिनांक 03-06-2017 से फर्म का कार्यालय ओम तोमर, पंचवटी कॉलोनी, बहोड़ापुर, ग्वालियर नवीन स्थान पर परिवर्तित हो गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-इन्द्रा स्टोन्स क्रेशर,
मुकेश मित्तल,
(भागीदार)
01, सदर बाजार, मुरार (म.प्र.).

(386-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीयत भागीदारी फर्म मैसर्स ओरके बिल्डर्स सिन्धु टाकीज के पास बैरागढ़, भोपाल म.प्र. के संविधान में दिनांक 10 जनवरी, 2013 से यह परिवर्तन किया है कि भागीदार श्री स्वदेश अग्रवाल, श्री शैलेन्द्र बंसल, श्रीमती रचना बंसल, श्रीमती संगीता जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, श्री रविन्द्र जैन फर्म से सेवा निवृत्त हुए हैं तथा श्री शान्तनु अग्रवाल, श्रीमती पिका बंसल एवं श्रीमती अनिता जैन नए भागीदार के रूप में फर्म में शामिल हुए हैं.

For-M/s Orkay Builders,
KAVITA JAIN,
(Partner).

(374-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जा रहा है कि मैसर्स "मारुतिनंदन इंफ्राटेक" दिनांक 03-09-2015 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म रजि. नं. 02/42/01/0044/17 के रूप में कार्य कर रही है, पुनः संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 21-01-2016 से इस प्रकार है. श्री जगदीश अग्रवाल पुत्र श्री रामजी अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से त्याग-पत्र देकर फर्म से हट रहे हैं तथा श्री जयदीप अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल, उम्र 36 वर्ष फर्म में सम्मिलित हुए हैं.

हर आम आदमी को सूचित हों.

मारुतिनंदन इंफ्राटेक,
अरविंद अग्रवाल,
(भागीदार)
1232, जालिम सिंह की गोथ,
दही मंडी लश्कर, ग्वालियर 474001 (म.प्र.).

(388-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है फर्म मैसर्स जिन्दल अर्थ माईन्स एक भागीदारी फर्म है. संस्था का पंजीयन क्र. 07/33/01/00077/14 होकर जिसका कार्यालय 62, 63 इण्डस्ट्रीयल एरिया मक्सी रोड, उज्जैन पर स्थित है. उक्त संस्था में दिनांक 19-09-2016 को श्रीमती वंदना जिंदल पति श्री अमित जिंदल भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हुए हैं एवं दिनांक 03-10-2016 को मध्य रात्रि से एक भागीदार श्री मानस जिंदल पिता श्री मनोज जिंदल इस भागीदारी फर्म से पृथक् हो गये हैं, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स जिन्दल अर्थ माईन्स,
नव्य जिन्दल,
(भागीदार)
उज्जैन.

(390-बी.)

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म तृप्ति वेजीटेबिल एंड जनरल ट्रेडर्स नवीन मार्केट, नया बाजार, सागर से एक भागीदार श्री असीम कुमार नीखरा, दिनांक 31-03-2017 से स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये हैं. बाकी दो भागीदार श्री जगदीश प्रसाद नीखरा एवं श्री अजय कुमार नीखरा फर्म में भागीदार रहेंगे. इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज के सूचना के 8 दिन में संपर्क करें.

वास्ते—तृप्ति वेजीटेबिल एंड जनरल ट्रेडर्स,
अजय कुमार नीखरा,
(पार्टनर)
सागर (म.प्र.).

(389-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स बालाजी कॉलोनाईजर्स बरैली, जिला रायसेन से श्री वीरेन्द्र पाण्डेय पिता श्री रोहण प्रसाद पाण्डेय, दिनांक 26-08-2017 से पृथक् हो गये हैं शेष भागीदार पूरन कुमार आड़वानी, नीलेश मेकरा फर्म का संचालन करेंगे.

फर्म-मैसर्स बालाजी कॉलोनाईजर्स बरैली,
पूरन कुमार अडवानी,
(भागीदार).

(391-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास सागर, जिला सागर

रा.प्र.क्र.13वी/113वर्ष 2016-17. मौजा जरुवाखेडा.

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक देवेन्द्र कुमार जैन पिता लख्मीचंद जैन, निवासी जरूवाखेडा अध्यक्ष, सिद्ध क्षेत्र श्री देव ठाकुर बाबा मंदिर जरूवाखेडा, जिला सागर द्वारा नियम-4(2) मध्यप्रदेश लोक न्यास के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर "सिद्ध क्षेत्र श्री देव ठाकुर बाबा मंदिर जरूवाखेडा" के पंजीयन हेतु निवेदन किया है जिसके कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक के नाम पते निम्नानुसार हैं:-

1.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन पिता लख्मीचंद जैन,	अध्यक्ष, जरूवाखेडा
2.	श्री अजय सिंह पिता आनंद सिंह ठाकुर,	कोषाध्यक्ष, जरूवाखेडा
3.	श्री राकेश कुमार गुप्ता पिता दयाराम गुप्ता,	सचिव, जरूवाखेडा
4.	श्री महेन्द्र कुमार पिता तोडरमल ओसवाल,	उपाध्यक्ष, चांदामउ
5.	श्री रामसींग यादव पिता विन्द्रावन यादव,	उपाध्यक्ष, हनौता पारीक्षत
6.	श्री कृष्णकांत पाठक पिता रामेश्वर प्रसाद पाठक,	सहा. कोषाध्यक्ष, जरूवाखेडा
7.	श्री सुरेन्द्र तिवारी पिता कामता प्रसाद तिवारी,	सदस्य, वादरी
8.	श्री गुलाबसींग पिता वीरसींग राजपूत	सदस्य, जेरई
9.	श्री हरदास कुर्मी पिता श्यामलाल कुर्मी	सदस्य, गोपालगंज सागर
10.	श्री जयहिन्द राजपूत पिता गनपत सिंह राजपूत	सदस्य, मूडरा जरूवाखेडा
11.	डॉ. सत्यजीत सिंह ठाकुर पिता अजब सिंह ठाकुर	सदस्य, बीना

पदेन सदस्य

1. सरपंच ग्राम पंचायत, जरूवाखेडा
2. जनपद सदस्य जनपद क्षेत्र, जरूवाखेडा

3. जनपद अध्यक्ष जनपद पंचायत, राहतगढ़
4. डिप्टी रेंजर वन परिक्षेत्र, जरूवाखेडा
5. थाना प्रभारी थाना, नरयावली
6. विधायक विधान सभा क्षेत्र, नरयावली
7. विधायक विधान सभा क्षेत्र, सुरखी
8. विधायक विधान सभा क्षेत्र, खुरई
9. रेलपथ निरीक्षक, जरूवाखेडा
10. सासंद लोक सभा क्षेत्र, सागर

न्यास के पदाधिकारियों का निर्वाचन कुल न्यासियों के बहुमत के आधार पर किया जायेगा. न्यास का नाम, पता एवं सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

लोक न्यास का नाम	:	सिद्ध क्षेत्र श्री देव ठाकुर मंदिर जरूवाखेडा, जिला सागर.
पता	:	जरूवाखेडा, तहसील व जिला सागर.
चल सम्पत्ति	:	संलग्न सूची अनुसार वस्तुयें एवं सामग्री (1 से 10 तक सूची)
अचल सम्पत्ति (क)	:	खसरा नम्बर 70 रकबा 1.50 हे. भूमि
		खसरा नम्बर 57 रकबा 0.80 हे. भूमि
		संलग्न सूची अनुसार वस्तुयें एवं सामग्री.

अत: उपरोक्त ट्रस्ट रजिस्ट्रर्ड किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है बाद गुजरने म्यांद के किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 16 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.
पेशी दिनांक 18-09-2017.
जारी दिनांक 16-08-2017.

एल. के. खरे,

(1497) अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा, जिला खण्डवा

प्र.क्र.0003/बी-113(1)/2016-17. जारी दिनांक 28 जुलाई, 2017

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि डॉ. सुदरलाल पिता वेद्य बालमकुन्द गुप्ता, निवासी पडावा, नर्स होस्टल के पीछे, खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 29 अगस्त, 2017 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	श्रीमति सीताबाई वेद्य बालमकुन्द गुप्ता पारमार्थिक न्यास खण्डवा, तहसील खण्डवा.
चल संपत्ति	:	1,00,000/- रुपये नगदी.
अचल संपत्ति	:	निरंक.

शाश्वत शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(1498)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा

प्र.क्र...../बी-113/2016-17/1470

विदिशा, दिनांक 29 अगस्त, 2017

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

आवेदक श्री उत्तमराव बिजवे, निवासी विदिशा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विर्निदिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29 सितम्बर, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा, लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 29 सितम्बर, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता	:	गायत्री शक्तिपीठ, राजीव नगर, विदिशा.
2. चल सम्पत्ति	:	वर्तमान में कोई चल संपत्ति नहीं है.
3. अचल सम्पत्ति	:	गायत्री शक्तिपीठ, राजीव नगर विदिशा की सामग्री की सूची संलग्न है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कलेक्ट्रेट शाखा, विदिशा में खाता क्र..... में.....रु. जमा है.

आर. पी. अहिरवार,
रजिस्ट्रार.

(1499)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 24 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1360.—महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर./एम.एन.ए./1436,

दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-60 के अंतर्गत पंजीबद्ध संस्था है. संस्था को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2017-18/1261, दिनांक 21 जुलाई, 2017 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किया गया. संस्था से दिनांक 21 अगस्त, 2017 तक को उत्तर चाहा गया, परंतु संस्था द्वारा अपना उत्तर/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि संस्था बंद है एवं वर्तमान में कार्यशील होने की कोई कार्ययोजना नहीं है. संस्था ने श्री ओ. एन. शर्मा, अंके. अधि. प्रशासक को पदभार नहीं दिया गया. रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया. ऑडिट भी लम्बित रहा निर्धारित समयवधि में निर्वाचन भी नहीं कराया है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मुरैना को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा यह आदेशित करता हूँ कि सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 24 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया जो तत्काल प्रभावशील होगा.

सी. पी. एस. भदौरिया,

(1485) उप-पंजीयक.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 26 अगस्त, 2017

क्र./परि./1672.—अनुसूचित जाति जनजाति खनिज सहकारी संस्था मर्या., सौजनाताल, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी. डब्लू.आर./649, दिनांक 11 मई, 1993 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1409, दिनांक 23 मई, 2006 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री के. सी. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिर्पोट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अत: मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनुसूचित जाति जनजाति खनिज सहकारी संस्था मर्या., सौजनाताल, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1486)

ग्वालियर, दिनांक 26 अगस्त, 2017

क्र./परि./1673.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जखौदा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर./504, दिनांक 31 मार्च, 1989 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./430, दिनांक 17 मार्च, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री आनन्द माझी, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिर्पोट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अत: मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जखौदा, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(1486-A)

ग्वालियर, दिनांक 26 अगस्त, 2017

क्र./परि./1674.—संगम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मऊछ, जिला ग्वालियर पंजीयन क्रमांक ए. आर./जी.डब्लू.आर. /913, दिनांक 13 मार्च, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1861, दिनांक 21 नवम्बर, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक श्री आनन्द मांझी, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर द्वारा विधिवत कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिर्पोट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अत: मैं, अनुभा सूद, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संगम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मऊछ, जिला ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करती हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

अनुभा सूद,
उप-पंजीयक.

(1486-B)

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 23 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1589.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मंझेरा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1164, दिनांक 14 जनवरी, 2005 को कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/778, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, खुरई को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 04 अगस्त, 2017 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/778, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुऐ महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मंझेरा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर पंजीयन क्र. 1164, दिनांक 14 जनवरी, 2005 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम/पति का नाम	पदनाम
1.	श्रीमति लाड़ो वी/श्री छोटे खान	अध्यक्ष	7.	श्रीमति फूलरानी/तुलई पटैल	सदस्य
2.	श्रीमति कुरेशा वी/श्रीसाहब खान	उपाध्यक्ष	8.	श्रीमति सईदन वी/ श्री साविर खान	सदस्य
3.	श्रीमति समीना वी/श्री फज़ल खान	उपाध्यक्ष	9.	श्रीमति सुखवती/श्री गोपाल अहिरवार	सदस्य
4.	श्रीमति हेमाबाई/श्री बल्देव पटेल	सदस्य	10.	श्रीमति मथुरा/श्री कड़ोरीलाल अहिरवार	सदस्य
5.	श्रीमति पारवती/श्री परसू पटेल	सदस्य	11.	श्रीमति फिरोज वी/श्री रहीस	सदस्य
6.	श्रीमति हुलीमन/श्री बाबू खान	सदस्य			

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1487)

सागर, दिनांक 23 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1590.—हंसवाहिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., तोड़ाकाछी, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 1166, दिनांक 14 जनवरी, 2005 को कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/791, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, खुरई को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 05 अगस्त, 2017 में संस्था को

पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/791, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुऐ हंसवाहिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., तोड़ाकाछी, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर म.प्र. पंजीयन क्र. 1166, दिनांक 14 जनवरी, 2005 को पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम/पति का नाम	पदनाम
1.	श्रीमति कमला/श्री दिनेश कुमार कुशवाहा	अध्यक्ष	7.	श्रीमति बृजरानी/श्री मेहताब आदिवासी	सदस्य
2.	श्रीमति रामवती/श्री नवल सिंह कुशवाहा	उपाध्यक्ष	8.	श्रीमति चंदा/श्री रामसिंग कुशवाहा	सदस्य
3.	श्रीमति पुष्पा/श्री नरेश कुमार पटेल	उपाध्यक्ष	9.	श्रीमति नन्दिनी/श्री मनमोहन	सदस्य
4.	श्रीमति भागबाई/श्री जसवंत कुशवाहा	सदस्य	10.	श्रीमति कविता/श्री चालीराम	सदस्य
5.	श्रीमति प्रीतमबाई/श्री कृष्णमुरारी कुशवाहा	सदस्य	11.	श्रीमति रामसखी/श्री करन धानक	सदस्य
6.	श्रीमति गीताबाई/श्री बलराम कुशवाहा	सदस्य			

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 23 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

पी. आर. कावड़कर,
उप-पंजीयक.

(1487-A)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी सोसायटियां, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 11 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1176.-निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलक गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	24/10-07-1967	292/03-02-2017
2.	श्रीजैन गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	33/16-02-1979	299/03-02-2017
3.	उंकार गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	465/15-02-1988	301/03-02-2017
4.	प्रजापति ईंट निर्माण उद्योग सह. संस्था मर्या., बांगरोद	883/06-12-2010	328/03-02-2017
5.	सुरभि प्रजापति ईंट निर्माण उद्योग सह. संस्था मर्या., बिबडोद	773/14-01-2002	329/03-02-2017
6.	स्वर्णकार सहकारी संस्था मर्या., रतलाम	10/06-08-1959	327/03-02-2017

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह के अन्दर मय-प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाध ीन होंगे. यदि 1 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो बाद में उसका दावा (क्लेम)मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एन. के. जैन,
परिसमापक.

(1488)

कार्यालय, उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 18 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/614.—शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ जिसका पंजीयन क्र. 557, दिनांक 05 फरवरी, 1981 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/274, झाबुआ, दिनांक 03 जुलाई, 2015 अनुसार परिसमापन में श्री संजय दवें, उप-अंकेक्षक झाबुआ को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के नियुक्त परिसमापक द्वारा संस्था को कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाकर संस्था को पुनर्जीवित कराये जाने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है.

प्रस्ताव का परिक्षण करने पर पाया गया है कि संस्था कार्यशील होकर एक सक्षम ईकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकती है एवं संस्था को पुनर्जीवित करना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, जी. एल. बडोले, उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के तहत शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ को पुनर्जीवित करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार अस्थाई कामकाज कमेटी 06 माह के लिए नियुक्त करता हूँ.-

क्र.	नाम	पद
1.	श्री विनोद कुमार मिश्रा	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र जोशी	उपाध्यक्ष
3.	श्री अशोक गर्ग	प्रबंधकारिणी सदस्य
4.	श्री प्रहलादसिंह परिहार	प्रबंधकारिणी सदस्य
5.	श्री प्रदीप भालेराव	प्रबंधकारिणी सदस्य
6.	श्री सुभाष बर्वे	प्रबंधकारिणी सदस्य
7.	श्री दिनेश अग्रवाल	प्रबंधकारिणी सदस्य
8.	श्री रविन्द्र शर्मा	प्रबंधकारिणी सदस्य
9.	श्रीमती मंगला पोतदार	प्रबंधकारिणी सदस्य
10.	श्री पूरणसिंह बैस	प्रबंधकारिणी सदस्य
11	श्री निर्मल सिसोदिया	प्रबंधकारिणी सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 18 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जी. एल. बडोले,
उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक.

(1489)

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला दतिया

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

निर्मित श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सिंघवारी, जिसका पंजीयन क्रमांक 254, दिनांक 03 फरवरी, 1992 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/558, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये निर्मित श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., सिंघवारी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. परोलिया, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री के. के. परोलिया, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

राजराजेश्वरी महिला प्राथ. उप. सहकारी भण्डार समिति मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 531, दिनांक 22 अगस्त, 2015 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/546, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये राजराजेश्वरी महिला प्राथ. उप. सहकारी भण्डार समिति मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. पटेरिया, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. के. पटेरिया, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

माँ मगलदेवी प्राथ. उप. सहकारी भण्डार समिति मर्या., सेवढा, जिसका पंजीयन क्रमांक 390, दिनांक 15 मार्च, 2010 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/560, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये माँ मगलदेवी प्राथ. उप. सहकारी भण्डार समिति मर्या., सेवढा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. परोलिया, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री के. के. परोलिया, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-B)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

माँ शीतला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार समिति मर्या., सेवढा, जिसका पंजीयन क्रमांक 382, दिनांक 07 अक्टूबर, 2009 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/559, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये माँ शीतला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार समिति मर्या., सेवढा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. परोलिया, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री के. के. परोलिया, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-C)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

माँ पीताम्बरा ईधन सहकारी भण्डार समिति मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 396, दिनांक 02 अगस्त, 2010 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/554, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये माँ पीताम्बरा ईधन सहकारी भण्डार समिति मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. पटेरिया, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. के. पटेरिया, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-D)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

माँ राजराजेश्वरी प्राथ. महिला उप. सहकारी भण्डार समिति मर्या., सेवढा, जिसका पंजीयन क्रमांक 548, दिनांक 07 सितम्बर, 2016 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/550, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये माँ राजराजेश्वरी प्राथ. महिला उप. सहकारी भण्डार समिति मर्या., सेवढा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. पटेरिया, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. के. पटेरिया, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-E)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., राव, जिसका पंजीयन क्रमांक 312, दिनांक 12 मार्च, 2011 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/543, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., राव को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र परमार, C.E.O. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री सुरेन्द्र परमार, C.E.O. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-F)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., राखरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 487, दिनांक 14 मार्च, 2011 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/542, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., राखरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र परमार, C.E.O. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री सुरेन्द्र परमार, C.E.O. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-G)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोदर, जिसका पंजीयन क्रमांक 543, दिनांक 22 जुलाई, 2016 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/541, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोदर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र परमार, C.E.O. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री सुरेन्द्र परमार, C.E.O. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-H)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कालीपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 538, दिनांक 22 जुलाई, 2016 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/535, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कालीपुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय कुमार शर्मा, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री अजय कुमार शर्मा, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-I)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

हरिजन प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 528, दिनांक 16 जून, 2015 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/545, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये हरिजन प्राथ. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. पटेरिया, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. के. पटेरिया, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-J)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

पूनम महिला प्राथ. उप. सहकारी भण्डार समिति मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 527, दिनांक 16 जून, 2015 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/544, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये पूनम महिला प्राथ. उप. सहकारी भण्डार समिति मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. पटेरिया, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. के. पटेरिया, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-K)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

पर्यटन विकास सहकारी समिति मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 503, दिनांक 28 फरवरी, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/557, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये पर्यटन विकास सहकारी समिति मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. परोलिया, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री के. के. परोलिया, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-L)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

कनक प्राथ. उप. सहकारी भण्डार समिति मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 530, दिनांक 16 जून, 2015 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/533, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये कनक प्राथ. उप. सहकारी भण्डार समिति मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. परोलिया, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री के. के. परोलिया, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-M)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देलुआ, जिसका पंजीयन क्रमांक 536, दिनांक 22 जुलाई, 2016 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/533, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देलुआ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय कुमार शर्मा, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री अजय कुमार शर्मा, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-N)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रांवकला, जिसका पंजीयन क्रमांक 537, दिनांक 22 जुलाई, 2016 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/534, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रांवकला को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय कुमार शर्मा, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री अजय कुमार शर्मा, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-O)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कड़खड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 534, दिनांक 22 जुलाई, 2016 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/531, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कड़खड़ा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय कुमार शर्मा, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री अजय कुमार शर्मा, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-P)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बदनपुर (B), जिसका पंजीयन क्रमांक 527, दिनांक 16 जून, 2015 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/530, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बदनपुर (B) को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय कुमार शर्मा, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री अजय कुमार शर्मा, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-Q)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सनोरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 535, दिनांक 22 जुलाई, 2016 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/532, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सनोरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय कुमार शर्मा, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री अजय कुमार शर्मा, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-R)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कामद, जिसका पंजीयन क्रमांक 539, दिनांक 22 जुलाई, 2016 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/536, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कामद को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र परमार, C.E.O. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री सुरेन्द्र परमार, C.E.O. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-S)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिंहपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 541, दिनांक 22 जुलाई, 2016 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/538, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिंहपुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र परमार, C.E.O. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री सुरेन्द्र परमार, C.E.O. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-T)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अजीतपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 544, दिनांक 22 जुलाई, 2016 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/540, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अजीतपुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र परमार, C.E.O. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री सुरेन्द्र परमार, C.E.O. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-U)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुजेड़, जिसका पंजीयन क्रमांक 542, दिनांक 22 जुलाई, 2016 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/539, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुजेड़ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र परमार, C.E.O. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री सुरेन्द्र परमार, C.E.O. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-V)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धर्मपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 493, दिनांक 08 जनवरी, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/506, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धर्मपुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. गुप्ता, S.A. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री आर. के. गुप्ता, S.A. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-W)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रानीपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 492, दिनांक 08 जनवरी, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/505, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रानीपुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. गुप्ता, S.A. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री आर. के. गुप्ता, S.A. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-X)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करापुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 491, दिनांक 08 जनवरी, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/504, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करापुर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. गुप्ता, S.A. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री आर. के. गुप्ता, S.A. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-Y)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तैड़ोत, जिसका पंजीयन क्रमांक 489, दिनांक 08 जनवरी, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/503, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तैड़ोत को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. गुप्ता, S.A. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री आर. के. गुप्ता, S.A. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1490-Z)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुमर्रा, जिसका पंजीयन क्रमांक 488, दिनांक 08 जनवरी, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/502, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुमर्रा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. गुप्ता, S.A. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री आर. के. गुप्ता, S.A. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

गुरु माँ मल्टी परपज एण्ड एडवारटाईजिंग सहकारी समिति मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 436, दिनांक 22 अक्टूबर, 2010 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/496, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये गुरु माँ मल्टी परपज एण्ड एडवारटाईजिंग सहकारी समिति मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती रश्मी त्रिपाठी, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्रीमती रश्मी त्रिपाठी, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

श्री बजरंग बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 455, दिनांक 25 अगस्त, 2011 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/465, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये श्री बजरंग बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-B)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

निर्मित श्रमठेका सहकारी समिति मर्या., पिपरौआकलां, जिसका पंजीयन क्रमांक 391, दिनांक 01 जून, 2010 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/466, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये निर्मित श्रमठेका सहकारी समिति मर्या., पिपरौआकलां को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-C)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्राथ. लघु बनोपस सहकारी समिति मर्या., मिटारी, जिसका पंजीयन क्रमांक 452, दिनांक 24 अगस्त, 2011 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/583, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये प्राथ. लघु बनोपस सहकारी समिति मर्या., मिटारी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-D)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

अनामय प्रभू शिक्षा सहकारी समिति मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 482, दिनांक 24 अगस्त, 2013 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/581, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये अनामय प्रभू शिक्षा सहकारी समिति मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-E)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गरसेनीखुर्द, जिसका पंजीयन क्रमांक 476, दिनांक 23 सितम्बर, 2011 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/580, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गरसेनीखुर्द को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती रश्मी त्रिपाठी, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्रीमती रश्मी त्रिपाठी, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-F)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पचौखरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 518, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/526, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पचौखरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उमेश पाठक, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री उमेश पाठक, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-G)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

धूमावती प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 387, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/563, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये धूमावती प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. बी. गुप्ता, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री बी. बी. गुप्ता, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-H)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिकौआ, जिसका पंजीयन क्रमांक 460, दिनांक 22 सितम्बर, 2011 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/499, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिकौआ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती रश्मि त्रिपाठी, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्रीमती रश्मि त्रिपाठी, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-I)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भडोल, जिसका पंजीयन क्रमांक 408, दिनांक 25 नवम्बर, 2010 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/497, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भडोल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती रश्मि त्रिपाठी, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्रीमती रश्मि त्रिपाठी, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-J)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

आराधना प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 519, दिनांक 01 नवम्बर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/491, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये आराधना प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती रश्मि त्रिपाठी, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्रीमती रश्मि त्रिपाठी, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-K)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

माँ पीताम्बरा सहकारी प्रिंटिंग प्रेस सहकारी समिति मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 316, दिनांक 15 जून, 1998 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/494, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये माँ पीताम्बरा सहकारी प्रिंटिंग प्रेस सहकारी समिति मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती रश्मी त्रिपाठी, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्रीमती रश्मी त्रिपाठी, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-L)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

विद्यार्थी प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 27, दिनांक 26 सितम्बर, 1963 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/489, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये विद्यार्थी प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सी. पी. रायकवार, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री सी. पी. रायकवार, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-M)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

अन्नपूर्णा प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 388, दिनांक 29 दिसम्बर, 2009 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/484, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये अन्नपूर्णा प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सी. पी. रायकवार, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री सी. पी. रायकवार, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-N)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

मछुआ अनु. जाति प्राथ. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बसई जिसका पंजीयन क्रमांक 337, दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/479, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये मछुआ अनु. जाति प्राथ. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बसई को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सी. पी. रायकवार, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री सी. पी. रायकवार, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-O)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

खेरापति हनुमान प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., इन्दरगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 378, दिनांक 28 फरवरी, 2009 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/562, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये खेरापति हनुमान प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., इन्दरगढ़ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. बी. गुप्ता, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री बी. बी. गुप्ता, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-P)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

माँ संतोषी प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., इन्दरगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 372, दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/561, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये माँ संतोषी प्राथ. उप. सहकारी भण्डार समिति मर्या., इन्दरगढ़ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. परोलिया, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री के. के. परोलिया, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-Q)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

बालाजी स्टील बुडफर्नीचर उद्योग सहकारी समिति मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 326, दिनांक 11 सितम्बर, 2002 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/473, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये बालाजी स्टील बुडफर्नीचर उद्योग सहकारी समिति मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सी. पी. रायकवार, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री सी. पी. रायकवार, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-R)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्रियंका प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., भाण्डेर, जिसका पंजीयन क्रमांक 394, दिनांक 01 जुलाई, 2010 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/472, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये प्रियंका प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., भाण्डेर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सी. पी. रायकवार, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री सी. पी. रायकवार, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-S)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

बालाजी प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 383, दिनांक 07 अक्टूबर, 2009 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/470, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये बालाजी प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-T)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

माँ अन्नपूर्णा बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., इकारा, जिसका पंजीयन क्रमांक 318, दिनांक 09 दिसम्बर, 1998 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/564, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये माँ अन्नपूर्णा बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., इकारा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. बी. गुप्ता, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री बी. बी. गुप्ता, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-U)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चरबरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 487, दिनांक 08 जनवरी, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/501, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चरबरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. गुप्ता, S.A. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री आर. के. गुप्ता, S.A. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-V)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पालीनूर, जिसका पंजीयन क्रमांक 500, दिनांक 08 जनवरी, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/513, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पालीनूर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एल. त्रिपाठी, S.A. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री एस. एल. त्रिपाठी, S.A. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-W)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सासूती, जिसका पंजीयन क्रमांक 517, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/525, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुमर्रा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उमेश पाठक, S.A. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री उमेश पाठक, S.A. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-X)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वेदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 516, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/524, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वेदा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उमेश पाठक, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री उमेश पाठक, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-Y)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुनारी, जिसका पंजीयन क्रमांक 515, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/523, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुनारी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उमेश पाठक, S.A. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री उमेश पाठक, S.A. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1491-Z)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रिछार, जिसका पंजीयन क्रमांक 513, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/521, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रिछार को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उमेश पाठक, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री उमेश पाठक, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सडवारा, जिसका पंजीयन क्रमांक 512, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/520, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सडवारा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उमेश पाठक, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री उमेश पाठक, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुरसोनी, जिसका पंजीयन क्रमांक 511, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/519, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुरसोनी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री उमेश पाठक, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री उमेश पाठक, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-B)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चराई, जिसका पंजीयन क्रमांक 510, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/518, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चराई को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एल. त्रिपाठी, S.A. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री एस. एल. त्रिपाठी, S.A. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-C)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घरावा, जिसका पंजीयन क्रमांक 509, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/517, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घरावा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एल. त्रिपाठी, S.A. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री एस. एल. त्रिपाठी, S.A. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-D)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कल्याणपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक 508, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/516, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कल्याणपुरा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एल. त्रिपाठी, S.A. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री एस. एल. त्रिपाठी, S.A. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-E)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खदरावनी, जिसका पंजीयन क्रमांक 507, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/515, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खदरावनी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एल. त्रिपाठी, S.A. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री एस. एल. त्रिपाठी, S.A. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-F)

दतिया, दिनांक 29 जुलाई, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/1152.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विलोनी, जिसका पंजीयन क्रमांक 506, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/514, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विलोनी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एल. त्रिपाठी, S.A. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री एस. एल. त्रिपाठी, S.A. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-G)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

कुम्हारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., खिरिया आलम, जिसका पंजीयन क्रमांक 451, दिनांक 23 जून, 2011 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/578, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये कुम्हारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., खिरिया आलम को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-H)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

बालाजी साख सहकारी समिति मर्या., सेवढ़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 234, दिनांक 26 जून, 2013 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/577, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये बालाजी साख सहकारी समिति मर्या., सेवढ़ा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. दांगी, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. एस. दांगी, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-I)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

प्राथ. ईधन सहकारी समिति मर्या., बड़ौनीखुर्द, जिसका पंजीयन क्रमांक 455, दिनांक 26 मई, 2011 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/568, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये प्राथ. ईधन सहकारी समिति मर्या., बड़ौनीखुर्द को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. दांगी, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. एस. दांगी, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-J)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

माँ पीताम्बरा महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 310, दिनांक 17 अप्रैल, 1997 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/574, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये माँ पीताम्बरा महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. दांगी, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. एस. दांगी, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-K)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., धौड़, जिसका पंजीयन क्रमांक 478, दिनांक 12 मार्च, 2011 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/575, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., धौड़ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. दांगी, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. एस. दांगी, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-L)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

जय शिव ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., बड़ौनीखुर्द, जिसका पंजीयन क्रमांक 268, दिनांक 25 मार्च, 1995 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/573, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये जय शिव ईंट-भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., बड़ौनीखुर्द को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. दांगी, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. एस. दांगी, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-M)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/1143.—सहयोगी बुनकर सहकारी समिति मर्या., रेड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 23 मार्च, 1950 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/567, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये सहयोगी बुनकर सहकारी समिति मर्या., रेड़ा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. बी. गुप्ता, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री बी. बी. गुप्ता, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-N)

दतिया, दिनांक 29 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/1141.—विजय काली प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 411, दिनांक 06 जनवरी, 2011 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/565, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.
2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अतः मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये विजय काली प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. बी. गुप्ता, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री बी. बी. गुप्ता, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-O)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/1143.—आशीष प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., भाण्डेर, जिसका पंजीयन क्रमांक 832, दिनांक 04 अप्रैल, 1996 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/566, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अतः संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये आशीष प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., भाण्डेर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. बी. गुप्ता, S.C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री बी. बी. गुप्ता, S.C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-P)

दतिया, दिनांक 29 मार्च, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/1151.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोपीखिरिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 540, दिनांक 22 जुलाई, 2016 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/537, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोपीखिरिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र परमार, C.E.O. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री सुरेन्द्र परमार, C.E.O. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

(1492-Q)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

जय बजरंग प्राथ. लघु वनोपज सहकारी समिति मर्या., दतिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 454, दिनांक 25 अगस्त, 2011 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/576, दिनांक 31 मार्च, 2017 दिया गया था. सूचना-पत्र का जबाव देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गयी थी. संस्था से निर्धारित समयावधि में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. अत: संस्था के बारे में निम्न आरोप स्थापित होते हैं.—

1. यह कि संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है. संस्था अकार्यशील है संस्था के सदस्य और कार्यकारिणी संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं.

2. निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली गई है.

3. संस्था का संचालन सहकारी विधान, नियम एवं संस्था के उपनियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है.

अत: मैं, आर. पी. मिश्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला दतिया, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत पंजीयक की शक्तियाँ जो मध्यप्रदेश शासन सहकारी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-डी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये जय बजरंग प्राथ. लघु वनोपज सहकारी समिति मर्या., दतिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. दांगी, C.I. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्राभवशील होगा.

यह आदेशित किया जाता है, कि श्री डी. एस. दांगी, C.I. परिसमापक के रूप में धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्र प्रस्तुत करें.

आर. पी. मिश्रा,
सहायक पंजीयक.

(1492-R)

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 14 अगस्त, 2017

संशोधित आदेश

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/941.—आभास गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2641, दिनांक 02 अगस्त, 1997 है, को परिसमापन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2012/814, दिनांक 12 मई, 2012 से लाया जाकर कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/815, दिनांक 07 जुलाई, 2017 से श्री बी. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. श्री तिवारी का स्थानांतरण होने फलस्वरूप पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया जाकर क्रमांक/एफ/5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, छविकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा, आभास गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., हरदा का श्री ललित सकवार, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री ललित सकवार, सहकारी निरीक्षक, हरदा परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को नियमित समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 14 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1469)

हरदा, दिनांक 14 अगस्त, 2017

संशोधित आदेश

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/942.—जनता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2133, दिनांक 16 जनवरी, 1978 है, को परिसमापन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2012/811, दिनांक 12 मई, 2012 से लाया जाकर कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/814, दिनांक 07 जुलाई, 2017 से श्री बी. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. श्री तिवारी का स्थानांतरण होने फलस्वरूप पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया जाकर क्रमांक/एफ/5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, छविकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा, जनता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., हरदा का श्री ललित सकवार, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री ललित सकवार, सहकारी निरीक्षक, हरदा परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को नियमित समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 14 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1469-A)

हरदा, दिनांक 14 अगस्त, 2017

संशोधित आदेश

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत)

क्र./परि./2017/943.—एकता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2305, दिनांक 05 जनवरी, 1988 है,

को परिसमापन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2012/812, दिनांक 12 मई, 2012 से लाया जाकर कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/813, दिनांक 07 जुलाई, 2017 से श्री बी. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया. श्री तिवारी का स्थानांतरण होने फलस्वरूप पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया जाकर क्रमांक/एफ/5-1-99/एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, छविकान्त वाघमारे, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा, एकता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., हरदा का श्री ललित सकवार, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री ललित सकवार, सहकारी निरीक्षक, हरदा परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसयटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को नियमित समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 14 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

छविकान्त वाघमारे,
सहायक पंजीयक.

(1469-B)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी सोसायटियाँ, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 11 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1175.—निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	हरिजन उद्धार गांधी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	104/14-07-1957	298/03-02-2017

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 1 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जे. सी. जौनवाल,
परिसमापक.

(1468)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी सोसायटियाँ, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 11 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1177.—निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सत्यम् गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	456/01-12-1987	293/03-02-2017

1	2	3	4
2.	महाराजा अग्रसेन गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	375/10-07-1985	300/03-02-2017
3.	मत्स्य सह. संस्था मर्या., शिवगढ	215/11-01-1985	336/03-02-2017
4.	जय बजरंग बली मत्स्य सह. संस्था मर्या., नाल	841/17-06-2006	335/03-02-2017
5.	जय महादेव आदिवासी मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., दमेलपाडा	686/11-07-2003	334/03-02-2017
6.	अनुराग अगरबत्ती निर्माण उद्योग सह. संस्था मर्या., रतलाम	780/13-12-2002	332/03-02-2017
7.	विजय शिक्षक कर्म. साख सह. संस्था मर्या., सैलाना	137/09-08-1967	347/03-02-2017
8.	श्री हनुमान बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., करिया	866/12-10-2010	323/03-02-2017
9.	आदर्श बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., सरवनी	983/11-12-2014	306/03-02-2017
10.	श्री मारूति बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., करिया	989/02-01-2015	305/03-02-2017
11.	महावीर बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., पथवारी	995/16-03-2015	302/03-02-2017
12.	अन्नपूर्ण बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., रंगवाडी	996/16-03-2015	303/03-02-2017
13.	श्री गणेश बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., सालरापाडा	1001/05-05-2015	304/03-02-2017
14.	जय अम्बें बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., करिया	1003/11-05-2015	310/03-02-2017
15.	जय बजरंग बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., सकरावदा	1013/17-06-2015	307/03-02-2017
16.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., बोदिना	947/28-03-2014	274/03-02-2017
17.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., करिया	979/03-11-2014	276/03-02-2017
18.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., उमरन	976/27-10-2014	275/03-02-2017

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 1 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. खन्ना,
परिसमापक.

(1468-A)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी सोसायटियाँ, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 11 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बोरदा	907/14-08-2012	260/03-02-2017

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 1 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. भट्ट,
परिसमापक.

(1468-B)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी सोसायटियाँ, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 11 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	रतलाम कृषि ईंधन आपूर्ति सह. संस्था मर्या., रतलाम	851/10-03-2008	330/03-02-2017
2.	माही बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., रतलाम	912/31-12-2012	320/03-02-2017

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 1 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. कुमावत,
परिसमापक.

(1468-C)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी सोसायटियाँ, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 11 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	लोक कल्याण गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	273/01-06-1981	295/03-02-2017

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा

सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 1 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. चौहान,
परिसमापक.

(1468-D)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी सोसायटियाँ, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 11 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	गन्ना उत्पादक सह. संस्था मर्या., जावरा	21/25-08-1996	333/03-02-2017
2.	अरिहंत गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	405/10-07-1986	290/03-02-2017
3.	मजदूर किसान स्वयं सहायता सह. संस्था मर्या., जावरा	38/27-05-2013	325/03-02-2017
4.	साईड साख सह. संस्था मर्या., रतलाम	21/27-05-2013	342/03-02-2017
5.	अम्बिका बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., कलालीया	982/11-12-2014	312/03-02-2017
6.	बालाजी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., कामलिया	993/23-02-2015	313/03-02-2017
7.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., आक्यापरवल	301/02-06-1982	264/03-02-2017
8.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., पीरहिंगोरिया	582/10-10-1991	265/03-02-2017
9.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., किलगारी	887/13-06-2011	269/03-02-2017
10.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., कामलिया	978/27-10-2014	267/03-02-2017

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 1 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. सोनी,
परिसमापक.

(1468-E)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी सोसायटियाँ, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 11 अगस्त, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत)

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	मानसरोवर गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	783/09-04-2003	294/03-02-2017
2.	श्री रघुवीर मछुआ सह. संस्था मर्या., बंजली	861/19-10-2009	339/03-02-2017
3.	माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., नयाखेडा	868/01-06-2010	314/03-02-2017
4.	किसान कल्याण बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., कोट कराडिया	32/27-05-2013	321/03-02-2017
5.	राजेश्वरी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., जोयन	929/03-06-2013	315/03-02-2017
6.	आदर्श श्रमिक ठेका सह. संस्था मर्या., रतलाम	856/21-07-2008	331/03-02-2017
7.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., शेरपुरखुर्द	917/25-03-2013	289/03-02-2017
8.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., हिंगडी	919/25-03-2013	288/03-02-2017
9.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., भैसोला	500/02-12-1988	257/03-02-2017
10.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., नापाखेडा	503/29-03-1989	272/03-02-2017
11.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., ऐरवास	941/28-03-2014	259/03-02-2017
12.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., मोरिया (आलोट)	987/29-12-2014	281/03-02-2017
13.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., सेमलिया (ताल)	958/09-10-2014	280/03-02-2017
14.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., लसुडियाखेडी	837/09-09-2005	282/03-02-2017
15.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., कराडिया	690/19-03-1996	273/03-02-2017

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 1 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

ए. एस. राठौर,

(1468-F) परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी सोसायटियाँ, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 11 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	प्राध्यापक गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	257/25-04-1981	297/03-02-2017
2.	आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह सह. संस्था मर्या., रतलाम	39/27-05-2013	326/03-02-2017

1	2	3	4
3.	नवदुर्गा साख सह. संस्था मर्या., पिपलोदा	778/03-12-2008	344/03-02-2017
4.	श्री राम बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., रियावन	878/27-01-2010	311/03-02-2017
5.	श्री राम बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., हतनारा	1004/11-05-2015	309/03-02-2017
6.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., भाकरखेडी	816/15-12-2004	284/03-02-2017
7.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., मचून	632/30-06-1994	274/03-02-2017
8.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., धामेडी	304/06-07-1982	287/03-02-2017
9.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., कंसेर	951/29-03-2014	286/03-02-2017
10.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., न्यूमचून	972/27-10-2014	283/03-02-2017

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 1 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

वी. के. गोसाई,
परिसमापक.

(1468-G)

कार्यालय परिसमापक सहकारी सोसायटियाँ, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 11 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	338/23-04-1984	291/03-02-2017
2.	अभिभाषक गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., रतलाम	339/02-05-1984	296/03-02-2017
3.	इन्द्रा मछुआ सह. संस्था मर्या., रतलाम	768/06-11-2011	338/03-02-2017
4.	जय हिंगलाज माता मछुआ सह. संस्था मर्या., कमेड	787/19-02-2014	337/03-02-2017
5.	पुलिस विभाग कर्मचारी साख सह. संस्था मर्या., रतलाम	14/28-09-1959	345/03-02-2017
6.	आदर्श साख सह. संस्था मर्या., बांगरोद	8/27-05-2013	346/03-02-2017
7.	जनता साख सह. संस्था मर्या., जावरा	679/06-01-1996	343/03-02-2017
8.	अवधेश प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., रतलाम	801/24-09-2004	341/03-02-2017
9.	सॉवरिया प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., रतलाम	802/24-09-2004	340/03-02-2017
10.	बालाजी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., मऊखेडी	870/06-07-2001	322/03-02-2017
11.	श्रीराम बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., सिमलावदा	981/11-12-2014	316/03-02-2017
12.	महालक्ष्मी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., करमदी	984/15-12-2014	316/03-02-2017

1	2	3	4
13.	सांवरिया बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बाजनखेडा	994/23-02-2015	318/03-02-2017
14.	नवदुर्गा बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., खेडी	997/26-03-2015	319/03-02-2017
15.	बालाजी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., रानीसिंग	998/01-05-2015	324/03-02-2017
16.	श्री चतुर्भुज नाथ बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., नामली	1002/11-05-2015	308/03-02-2017
17.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., सिनोद	391/06-03-1986	263/03-02-2017
18.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., रत्तागढखेडा	266/28-05-1981	262/03-02-2017
19.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., कुआझागर	968/21-10-2014	261/03-02-2017
20.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., पिपलखुटा	959/09-10-2014	271/03-02-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 1 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. सी. बामनिया,
परिसमापक.

(1468-H)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 28 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी,
   जे. एस. के. साख सहकारी संस्था मर्या., मुरैना.
   कादमगिरी काम्पलेक्स नाला नं. 2, मुरैना.
2. श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, (व.स.नि.), प्रशासक,
   जे. एस. के. साख सहकारी संस्था मर्या., मुरैना.

क्र./परिसमापन/2017-18/1279.—यह कि जे. एस. के. साख सहकारी संस्था मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./एम.एन.ए./1413, दिनांक 27 फरवरी, 2016 जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं:—

1. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबंर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
3. संस्था द्वारा अंकेक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है. वित्तीय पत्रक पंजीयक को नहीं भेजे जा रहे हैं.
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे प्राप्त हैं का उपयोग करते हुये

मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 28 अगस्त, 2017 को लिखित उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1467)

मुरैना, दिनांक 28 जुलाई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

प्रति,

1. अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी,
   आंशी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मुरैना.
   श्री अशोक अर्गल वाली गली दत्तपुरा, मुरैना.
2. श्री ओ. एन. शर्मा, (अंके. अधि.), प्रशासक,
   आंशी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मुरैना.

यह कि आंशी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मुरैना, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./एम.एन.ए./1428, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 (सम्परिवर्तित) जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं:—

1. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
2. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबंर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
3. संस्था द्वारा अंकेक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है. वित्तीय पत्रक पंजीयक को नहीं भेजे जा रहे हैं.
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे प्राप्त हैं का उपयोग करते हुये मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बावत् में दिनांक 28 अगस्त, 2017 को लिखित उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जुलाई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. पी. एस. भदौरिया,

(1467-A) उप-पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2017-भाद्र 31, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2017

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में प्राय: इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के पन्ना जिले को छोड़कर राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील पन्ना (पन्ना) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, दमोह व जबलपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.- जिला ग्वालियर, दमोह व जबलपुर में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति- . .

5. कटाई.- जिला सतना, होशंगाबाद में फसल गेहूँ, बुरहानपुर में गेहूँ, चना, गुना में सरसों, चना, गेहूँ, बैतूल में गेहूँ, चना, मटर, मसूर, व पन्ना, दमोह, सीधी, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, धार, खरगौन, राजगढ़, भोपाल, सीहोर व कटनी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, शहडोल, नीमच, बड़वानी व रायसेन में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .				
3.जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		सरसों, गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द, मक्का, गेहूँ, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. सरसों, चना, गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	10.2		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
12. *जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. फसल गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. सिरमौर	. .				
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .		(2) . .		
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
16. जिला शहडोलः	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ,जौ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	. .		(2) . .		
4. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर, अलसी, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .				
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .		
3. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .				
3. मझौली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .	का कार्य चालू है.	4.(1) गेहूँ, चना.	6. . .	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़क्का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. संतोषप्रद,
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	चारा पर्याप्त.
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, रायड़ा समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मूँगफली	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .		(2) . .		
4. सोंडवा	. .				
5. उदयगढ़	. .				
6. च.शे.आ. नगर					
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, कपास, गन्ना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .		(2) . .		
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) मक्का, तुवर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		ज्वार, धान, बाजरा, कपास,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		मूँगफली, गेहूँ, अलसी,		
4. खरगौन	. .		राई-सरसों कम.		
5. गोगावां	. .		(2) . .		
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .		(2) . .		
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. *जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल चना, गेहूँ की	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	. .				
4. नसरूल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1)चना, तिवड़ा, मसूर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. गैरतगंज	. .		अलसी, राई-सरसों, मूँग	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		अधिक. धनिया, गेहूँ कम.		
4. गोहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी फसल, गेहूँ, चना,	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. भैंसदेही	. .	मटर, मसूर की कटाई	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .	का कार्य चालू है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. फसल गेहूँ की कटाई का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) चना, मटर, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		मसूर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .		(2) . .		
4. मझोली	. .				
5. कुण्डम	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, राई, सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. *जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) मक्का, धान अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .		(2) . .		
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. चांद	. .	. .			
10. बिछुआ	. .				
11. हर्रई	. .				
12. उमरेठ	. .				
13. बोलखेड़ा	. .				
50. *जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादोन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसोर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खैरलाँजी	. .				
4. बैहर	. .				
5. लालबर्रा	. .				
6. वारासिवनी	. .				
7. परसवाड़ा	. .				
8. कटंगी	. .				
9. बिरसा	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.-*जिला सागर, रतलाम, देवास, खण्डवा, नरसिंहपुर व सिवनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1496)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.